न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 15/2016 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00153

उनवान

होतम पुत्र करन सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बौरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. बनवारी
2. नंद कुमार } पुत्रगण आदिराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बौरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
3. मुरारी
4. इंद्रजीत
5. सरोज पुत्री आदिराम पत्नी राकेश जाति ब्राहम्ण निवासी मो0 बजरिया धौलपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी दिनांक 14.03.2015 मि. नं. 78/2014 उनवानी बनवारी लाल बनाम आदिराम।

अभिभाषकण :–

1. वकील अपीलांट श्री विनोद कुमार भार्गव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुरेश श्रीवास्तव उपस्थित।

निर्णय दिनांक–12.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रैस्पो0 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में वादीगण/रैस्पो0 1/4 भाग के तथा प्रतिवादी/अपीलाण्ट 3/4 भाग के खातेदार काश्तकार हैं तथा संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त कर रहें हैं। विवादित आराजी का बॅटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी/अपीलाण्ट विवादित आराजी को लेकर आये दिन हम वादीगण/रैस्पो0 से झगडा करता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड, विभाजन किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 21.12.2006 से प्राथमिक डिक्री किया जाकर, कुर्रे प्रस्ताव तलब किये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 30.05.2014 से खारिज हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर, तहसीलदार बसेडी से विभाजन प्रस्ताव तलब किये एवं मुताबिक कुर्रे प्रस्ताव अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2015 से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में, अपील मीमो के कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार बसेडी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया था परन्तु विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बसेडी द्वारा तैयार कर भिजवाये गये हैं। अतः कुर्रे प्रस्ताव क्षेत्राधिकार विहीन होने के कारण शून्य हैं। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की भी कोई पालना नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी में से जो खसरा नम्बर गॉव की आबादी में हैं वह सभी खसरा नम्बर रैस्पो0 को दिये गये हैं एवं अपीलाण्ट को गॉव से दूर के खसरा नम्बर दिये गये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अभिभाषक अपीलाण्ट की यह आपत्ति सारपूर्ण नहीं हैं कि कुर्रे प्रस्ताव नायब तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर तहसीलदार द्वारा भेजे गये हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार से उच्चतर प्राधिकारी है। कुर्रे प्रस्ताव, विभाजन के नियमो के अनुरूप ही तैयार किये गये हैं। अतः कुर्रे प्रस्ताव विधिवत हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा मात्र तकनीकी बिन्दु पर आपत्तियॉ की गयी हैं। विभाजन प्रस्ताव बाबत् मैरिट पर क्या आपत्ति है, स्पष्ट नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुॅजाईश शेष नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलाण्ट के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रेजात प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा बनाये गये हैं। अतः अपीलाण्ट/प्रतिवादी की यह आपत्ति कि अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु नायब तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया गया था परन्तु कुर्रे प्रस्ताव नायब तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये गये हैं; सारपूर्ण नहीं है क्योंकि तहसीलदार, नायब तहसीलदार से उच्चतर प्राधिकारी है जिसको नायब तहसीलदार की समस्त शक्तियॉ निहित होती हैं। जहॉ तक अपीलाण्ट की अन्य आपत्ति का प्रश्न है कि गॉव की आबादी से लगे हुये खसरा नम्बर रैस्पो0 को दिये गये हैं एवं उन्हें गॉव की आबादी से दूर के दिये गये हैं एवं कुर्रे प्रस्तावों मे लगान का बॅटवारा नहीं किया गया है व अधीनस्थ न्यायालय ने कुर्रे प्रस्तावो पर उन्हें आपत्ति का मौका नहीं दिया। हम पाते हैं कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाण्ट ने गॉव की आबादी से लगे हुए, उक्त खसरा नम्बरो का कोई उल्लेख ना तो अपील मीमो में ही किया है और ना ही वक्त बहस, उक्त कथित ''गॉव की आबादी से लगे खसरा नम्बरों'' का कोई विवरण दिया गया है। लगान के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट अंकित किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम खाता व लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा हस्तगत अपील में अपीलाण्ट को कुर्रे प्रस्तावों पर आपत्ति का पूर्ण अवसर था परन्तु उनके द्वारा अपील मीमो में मात्र तकनीकी आपत्तियॉ की गई हैं। अपील किसी प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखने का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार, अपील अपीलाण्ट सारपूर्ण नहीं है। लिहाजा हम खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official